न्यायालय उप जिलाधिकारी,छाता जनपद मथुरा

वाद संख्या 78 / वर्ष 2010–11 — धारा 143 ज0वि0अधिनियम

बी0डी0एम0 महाविधालय द्वारा अध्यक्ष दिगम्बरसिंह — बनाम — उत्तर प्रदेश सरकार

मौजा पैगाव तहसील छाता

आदेश

प्रार्थी श्री दिगम्बर सिंह पुत्र परसुराम निवासी पैगांव तहसील छाता अध्यक्ष बी0डी0एम0 महाविधालय पैगांव ने धारा 143 जमीदारी विनाश अधिनियम से आच्छांदित प्रार्थना पत्र दिनांक 10–8–11 ने इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की काश्त भूमि खाता संख्या 369 खसरा संख्या 235 रकवा 4–282 हेक्टेयर स्थित मौजा पैगांव में रकवा 1–011 हेक्टेयर लगान 15.45रू0 पर हिस्सा के अनुसार बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। यह कि उक्त भूमि कृषि अथवा कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजन में नहीं रही है और न ही वर्तमान में है। यह कि प्रार्थी उक्त भूमि को आबादी धोषित कराया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना की है कि उक्त भूमि को आबादी धोषित कर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करायी जाए। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व अभिलेख नकल खतौनी एवं खसरा को संलग्न किया है। इस प्रकरण की स्थलीय जांच का दायित्व तहसीलदार छाता को सौपा गया और आख्या चाही गई। तहसीलदार छाता की जांच आख्या दिनांक 20–08–11 पत्रावली पर उपलब्ध है। जांच आख्या में उक्त भूमि को आबादी धोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

चूंकि जांच अधिकारी तहसीलदार छाता से प्राप्त जांच आख्या से यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थी श्रीदिगम्बर सिंह पुत्र परसुराम निवासी पैगांव तहसील छाता अध्यक्ष बी0डी0एम0 महाविधालय पैगांव खाता संख्या 369 खसरा संख्या 235 रकवा 4–282 हेक्टेयर स्थित मौजा पैगाव में रकवा 1–011 हेक्टेयर पर हिस्सा के अनुसार बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है जांच आख्या में उक्त प्रश्नगत भूमि पर कोई फसल आदि नहीं है अपितु मौके पर आबादी के रूप में प्रयोग मे लाई जा रही है जिसे आबादी धोषित किए जाने की संस्तुति अंकित की गई है। तहसीलदार छाता ने लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की आबादी धोषणा हेतु प्रस्तुत की गई आख्या एवं संस्तुति को सम्पुष्टि करते हुए प्रार्थी की उक्त अंश भूमि को आबादी धोषित किए जाने हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित की है।अतः जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए उक्त भूमि को निम्नांकित प्रारूप पर आबादी धोषित किया जाता है:–

1–धारा जिसके अंतर्गत धोषणा की जा रही है–	धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम
2–मौजा जहां भूमि स्थित है –	मौजा पैगाव तहसील छाता
3–खसरा संख्या व रकवा	ख0स0 235 रकवा 4–282 में से **मात्र रकवा 1–011 हेक्टेयर भूमि**
4–मालगुजारी	14–45 रूपया

जांच अधिकारीतहसीलदार छाता की जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 20–8–11 इस आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छाता को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज कराने हेतु तथा उप निबंधक छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज कर इस वाद पत्रावली को दाखिल दफतर कर दिया जाए।

दिनांक– 20 अगस्त,2011

न्यायालय एस0 डी0 एम0 उपजिलाधिकारी छाता (मथुरा)

(राजपाल सिंह)
उपजिलाधिकारी,छाता

TRUE-COPY

S.D.M./S.D.O. CHATA (MATHURA)